न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

• पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12/2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बगदी राम पिता नारू बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पिता मोहन बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कमला पिता मोहन बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रूकमण पत्नी भूरा बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. चंदी बेवा चैना बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. नरायणी पुत्री चैना बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. रामेश्वर पिता उदयराम जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. जगदीश पिता प्यारा बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. सीता पिता प्यारा बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. नर्मदा बेवा प्यारा बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. श्यामा पिता नारू बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. बदाम देवी पत्नी उदयराम बैरवा निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–17.03.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256/1 रकबा 0.31 हे0, 1257/1 रकबा 0.48 हे0, 1258 रकबा 0.02, 1259/1 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 0.83 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 242 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। विपक्षी संख्या 11 पेरोकार [illegible] पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र प[illegible] अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना प[illegible] मनन किया। प्रार्थ[illegible] के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र [illegible] धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वी[illegible]किया जाना उचित प्रतीत होता है।

खण्ड अधिकारी
गापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 12/2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256/1 रकबा 0.31 है0, 1257/1 रकबा 0.48 है0, 1258 रकबा 0.02, 1259/1 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 0.83 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 242 पर स्थित हैं। भूमियों का बरामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला-भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested